PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

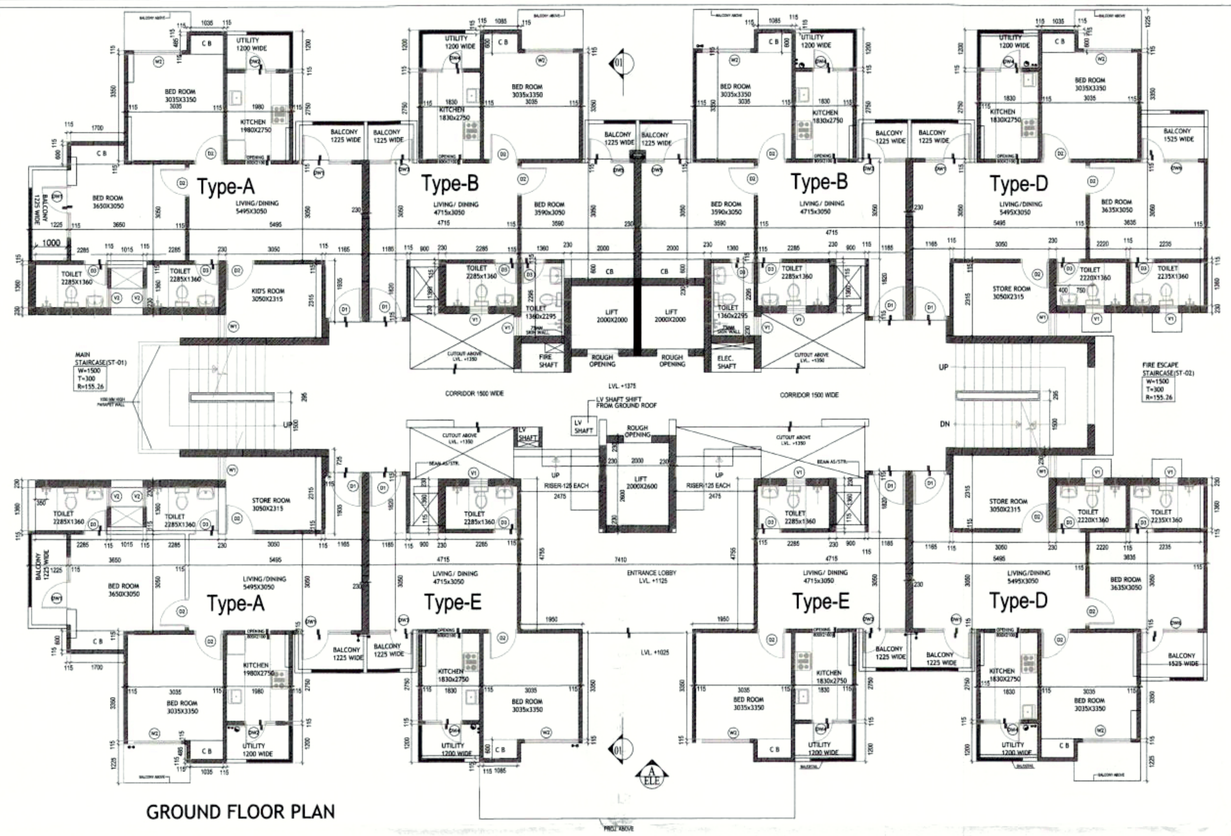

GROUND FLOOR PLAN

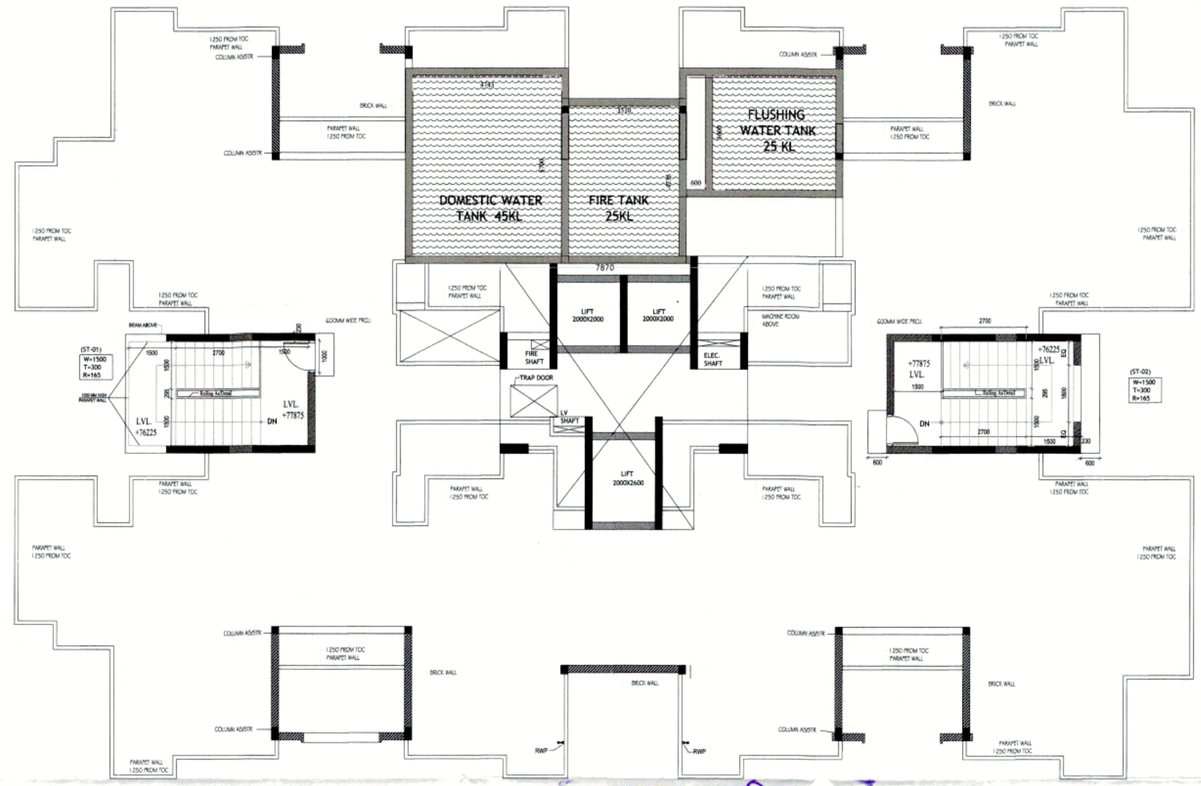

TERRACE PLAN

TYPICAL FLOOR PLAN
1ST TO 24TH FLOOR PLAN

OPENING SCHEDULE OF DOORS & WINDOWS						
S.NO	TYPE	SIZE			CILL	LINTEL
1	D1	1050	X	2100	0-0	2100
2	D2	900	X	2100	0-0	2100
3	D3	750	X	2100	0-0	2100
5	DW1	1650	X	2550	0-0/900	2550
6	DW2	1335	X	2550	0-0/900	2550
7	DW3	1500	X	2550	0-0/900	2550
8	DW4	900	X	2550	0-0/1050	2550
9	DW5	1570	X	2550	0-0/900	2550
10	DW6	820	X	2550	0-0/1050	2550
11	W1	725	X	1500	900	2550
12	V1	600	X	900	1650	2550

शमन मानचित्र
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

पत्र द्वारा प्रस्तुत शमन प्रार्थना पत्र दिनांक 24/7/15 पर सक्षम अधिकारी के शमन आदेश दिनांक 2(10)13 के अनुसार शमन फीस रू0 5,95,594/- 8140.00 दिनांक 23/11/15 को जमा करने के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या-43362/2001 एसोसि कराई व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.12.2001 एवं याचिका संख्या 2435/एसओ0/2001 निर्माण लखनऊ रेजीडेन्ट वैलफेयर एसोसिएशन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.02.2004 के अनुसार उत्तर प्रदेश भवन निर्माण उपविधि, एवं शपथ पत्र के क्रम में पत्र द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निम्नलिखित शर्तों के साथ प्राधिकरण द्वारा शमन मानचित्र निर्गत किया जाता है, जिनके उल्लंघन की स्थिति में पत्र माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.12.2001 एवं 20.02.2004 की अवमानना का उत्तरदायी होगा।

शर्तें:—

1. आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र दिनांक 23/7/15 में उल्लिखित समस्त शर्तों का पालन करना होगा।
2. भवन के स्वीकृत मानचित्र संख्या 859/नोटो-4/2011-12 दिनांक 9/4/13 में स्वीकृत इकाईयों से अधिक इकाईयों का निर्माण नहीं किया जायेगा।
3. शमन उपरान्त स्वीकृत/शमनित निर्माण के अतिरिक्त, निर्माण/परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
4. नियमानुसार आवश्यक तथा वाटर हार्वेस्टिंग, अग्नि शमन एवं वृक्षारोपण व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करनी होंगी।
5. भवन की पहले निकासी, गूलकम्प से सुरक्षा की व्यवस्था के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
6. भवन के किसी भी भाग का स्वीकृत उपयोग से भिन्न उपयोग नहीं किया जाएगा।
7. किसी कारण से अवरोध देय धनराशि को ब्याज सहित जमा कराना होगा।
8. उक्त शर्तों के उल्लंघन अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने की स्थिति में शमन मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा एवं विधि मान्य कार्यवाही की जायेगी।

अवर अभियन्ता — सहायक अभियन्ता

नोटः— शमन स्वीकृति पत्रांक 416 /प्रशासन (लोनर्म)/2015 दिनांक 15/12/15 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा, जिसकी प्रति शमन मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चस्पा की गयी है।

शर्तें:—
मात्र शमन मानचित्र निर्गत किया जा रहा है। सम्पूर्ति प्रमाण पत्र पृथक से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

PROJECT:
COMPOUNDING DRAWING FOR THE PROPOSED GROUP HOUSING AT PLOT NO. KHASRA NO. 839, 840,841,853,854,855,1037,1038,1039 AT VILLAGE MEHROLI , DASNA, DISTT. GHAZIABAD

BUILDER & PROMOTERS
MAHAGUN REAL ESTATE PVT. LTD.

THROUGH
MR. DHEERAJ JAIN

DRAWING TITLE: BLOCK - B11
GROUND TO 24TH FLOOR PLAN
TYPICAL FLOOR PLAN

GIAN P. MATHUR ARCHITECT B. Arch. M.C.A., A.I.I.A CA No. 8075769
ARCHITECT'S SIGN. | OWNER'S SIGN

ARCHITECT'S
GPMA ARCHITECTS & PLANNERS
GIAN P. MATHUR AND ASSOCIATES (P) LTD.
C - 55, East Of Kailash, New Delhi-110065
T : 46599599 I F 46599512
E : gpma@airtelmail.in I W : www.gpmindia.com

SCALE -:1:100 | DATE :- | DRG. No. SD - 12

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT